न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :–21/2018 रे.वाद (2018/00170) दर्ज दिनांक 30.01.2018

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

रोशनलाल पिता माधु सालवी, निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता श्यामलाल नायक नाबालिग बविलायत माता रतनी देवी पत्नी श्यामलाल नायक निवासी गलोदिया।
2. रतनी देवी पत्नि श्यामलाल नायक निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता वादी:– श्री अरविंद चौधरी
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय :: दिनांक 26.03.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 18.06.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा, तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1344 रकबा 0.65 हे0, आराजी संख्या 1345 रकबा 0.32 हे0, आराजी संख्या 1346 रकबा 0.27 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 हे0 भूमि खाता संख्या 310 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पर स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पीडी/2019/174 दिनांक 03.11.2020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा, तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1344 रकबा 0.65 हे0, आराजी संख्या 1345 रकबा 0.32 हे0, आराजी संख्या 1346 रकबा 0.27 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 हे0 भूमि खाता संख्या 310 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पर स्थित का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
1	2	3	4	5
1	रोशनलाल पुत्र माधुलाल सालवी सा0 देह खातेदार	गलोदिया (खाता संख्या 310)	1345 1344/1	0.32 0.30
		योग	2	0.62
2	1. ओमप्रकाश पुत्र श्यामलाल हि0 1/2 नायक सा0 देह खातेदार 2. रतनीदेवी पत्नि श्यामलाल हि0 1/2 नायक सा0 देह खातेदार	गलोदिया (खाता संख्या 310)	1346 1344/2	0.27 0.35
		योग	2	0.62

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 2.

2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : -- श्री विकास पंचोली (RAS)

प्रकरण संख्या :-21/2018 रे.वाद (2018/00170) दर्ज दिनांक 30.01.2018

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

रोशनलाल पिता माधु सालवी, निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता श्यामलाल नायक नाबालिग बविलायत माता रतनी देवी पत्नी श्यामलाल नायक निवासी गलोदिया।
2. रतनी देवी पत्नि श्यामलाल नायक निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 26.03.2021
डिक्री दिनांक : 26.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री अरविंद चौधरी एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें।खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	रोशनलाल पुत्र माधुलाल सालवी सा0 देह खातेदार	गलोदिया (खाता संख्या 310)	1345 1344/1	0.32 0.30
		योग	2	0.62
2	1. ओमप्रकाश पुत्र श्यामलाल हि0 1/2 नायक सा0 देह खातेदार 2. रतनीदेवी पत्नि श्यामलाल हि0 1/2 नायक सा0 देह खातेदार	गलोदिया (खाता संख्या 310)	1346 1344/2	0.27 0.35
		योग	2	0.62

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ....Nil........ फी ... की सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... Nil ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2021 को जारी किया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

Scanned with CamScanner

वादपत्र संख्या 21/2018 (2018/00170)
अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2

2८

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner